पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

शिव शंकर सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 5476/2020

08 मई 2025

[माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी]

विचार के लिए मुद्दा

क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षक की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पूर्व या बाद में अनुमोदन की आवश्यकता होती है? क्या अनुमोदन और उचित प्रक्रिया के बिना सेवा समाप्ति वैध है? क्या याचिकाकर्ता अनुमोदन लंबित रहने तक सेवा की अवधि के लिए वेतन पाने की हकदार है? सेवा शर्तों के मामलों में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर रिट क्षेत्राधिकार की सीमा क्या है?

हेडनोट्स

अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन – सक्षम राज्य शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन के अधीन - अनुमोदन प्रक्रिया और गैर-अनुमोदन का प्रभाव - अनुमोदन के बिना सेवाओं की समाप्ति पर प्रश्न उठाया जा सकता है - अनुमोदन लंबित रहने के दौरान वेतन पाने की पात्रता - अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ रिट याचिका का क्षेत्राधिकार - बनाए रखने योग्य - अनुच्छेद 30 और नियामक नियंत्रण का दायरा - अनुशासनात्मक कार्रवाई में निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार - समाप्ति ऐसी प्रक्रियाओं और वैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुसार होनी चाहिए, जिसके विफल होने पर इसे चुनौती दी जा सकती है - नियामक प्राधिकरण और शैक्षिक मानक - सार्वजनिक कार्य और रिट क्षेत्राधिकार - रिट याचिका की अनुमति दी गई।

निर्णय: अल्पसंख्यक विद्यालय की प्रबंध समिति को स्वीकृत पदों के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन है, जिसे नियुक्ति के बाद दिया जा सकता है। निर्धारित प्रक्रिया और अनुमोदन का पालन किए बिना सेवा की समाप्ति अनियमित है और इसे चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ता अनुमोदन लंबित सेवा की अवधि के लिए वेतन का हकदार है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को

संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण प्राप्त है, लेकिन यह संरक्षण उन्हें नियुक्तियों और बर्खास्तगी के संबंध में लागू कानूनों के अनुपालन से छूट नहीं देता है। अल्पसंख्यक संस्थानों पर रिट अधिकार क्षेत्र सीमित है, लेकिन वैधानिक या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में बनाए रखा जा सकता है।

न्याय दृष्टान्त

(1988) पीएलजेआर एससी 7, (2011) 13 एससीसी 760, (2005) 6 एससीसी 357,

(2014) 2 एससीसी 305, (1988) 1 एससीसी 206, एआईआर 1967 सुप्रीम कोर्ट 1427

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान, 1950, बिहार गैर-माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण लेना)

(संशोधन) अधिनियम, 2011, बिहार स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1981, बिहार शिक्षा संहिता।

मुख्य शब्दो की सूची

उपलब्ध नही है ।

प्रकरण से उत्पन्न

उपलब्ध नही है ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री चंद्र सेन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री शंकर कुमार ठाकुर, एसी टू जीपी-27

स्कूल की ओर से: श्री के.एम. जोसेफ, अधिवक्ता; श्री सेबिन मैथ्यू, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: रवि राज

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला 5476/2020

==========

शिव शंकर सिंह पुत्र श्री मदन सिंह उर्फ दन प्रसाद सिंह निवासी गांव व पी.ओ.- हाजीपुर-बिल्लोर, थाना- बाढ़, जिला- पटना (बिहार) पिन कोड- 803213

...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. निदेशक मध्य शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा), बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. संयुक्त निदेशक, मध्य शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा), बिहार सरकार, पटना।
3. जिला मजिस्ट्रेट, जिला-पटना।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला-पटना।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-पटना।
6. सचिव, स्कूल प्रबंधन समिति, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल (प्लस 2) बरह, पटना 803213।
7. प्रिंसिपल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल (प्लस 2) बरह, पटना।

....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए : श्री चंद्र सेन प्रसाद सिंह,

राज्य के अधिवक्ता : श्री शंकर कुमार ठाकुर, जीपी-27 के एसी

स्कूल के लिए : श्री के. एम. जोसेफ, अधिवक्ता
श्री सेबिन मैथ्यू, अधिवक्ता

==========

न्यायालयः माननीय श्री जस्टिस पुरनेंदु सिंह

सी. ए. वी. जजमेंट

तारीखः 08-05-2025

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री चंद्र सेन प्रसाद सिंह, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शंकर कुमार ठाकुर, जीपी-27 और प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के विद्वान वकील श्री के.एम. जोसेफ तथा विद्वान वकील श्री सेबिन मैथ्यू को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने पैराग्राफ क्रमांक में वर्तमान रिट याचिका की धारा 1 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है, जिसे आगे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"I) प्रतिवादियों को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल (+2) बाढ़ पटना के कला शिक्षक के पद पर अनुमोदन प्रदान करने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, क्योंकि उन्हें उक्त स्कूल का विधिवत शिक्षक नियुक्त किया गया है।*
>
> *II) प्रतिवादियों को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल (+2) बाढ़ पटना के कला शिक्षक के पद पर उनकी सेवा की स्वीकृति देने/अनुमोदन करने के लिए निर्देश, रिट या आदेश जारी करने के लिए, क्योंकि उन्हें संबंधित स्कूल के प्रबंध समिति के सचिव द्वारा गठित साक्षात्कार का सामना करके नियुक्त किया गया है।*
>
> *III) प्रतिवादियों को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल (+2) के कला शिक्षक के पद के संबंध में अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्देश, रिट या आदेश जारी करने के लिए चूंकि याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 8/3/2013 को जारी विज्ञापन के अनुसार पद के लिए आवेदन किया था, जिसे विद्यालय के सचिव द्वारा आमंत्रित किया गया है।*
>
> *IV) निर्देश, रिट या आदेश जारी करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश दिया जाता है कि वे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 2 मई 2016 से कला अध्यापक के पद पर अनुमोदन प्रदान करें तथा आगे प्रतिवादियों को आदेश दिया जाता है कि वे अनुमोदन तक कला अध्यापक के पद पर किसी भी अध्यापक की नियुक्ति न करें।*
>
> *V) निर्देश, रिट या आदेश जारी करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को अनुमोदन तक कला अध्यापक के*

रूप में कार्य करने में बाधा न डालें, क्योंकि प्रतिवादी संख्या और 7 ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा अनुमोदन के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का अनुपालन नहीं किया है तथा अत्यधिक विलंब के कारण याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन नहीं मिल रहा है।

VI) उचित रिट या निर्देश जारी करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश दिया जाता है कि वे तत्काल अनुमोदन प्रदान करें तथा आगे आदेश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कार्य में बाधा न डालें। याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में कोई समस्या और बाधा उत्पन्न करने की आशंका है।

VII) याचिकाकर्ता को कला शिक्षक के रूप में सेवा की स्वीकृति तत्काल प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किया जाए क्योंकि न्याय से वंचित किया जा रहा है और आपके माननीय याचिकाकर्ता के हित में जो भी राहत उचित समझें, प्रदान करें।"

<u>संक्षिप्त तथ्यः</u>

3. याचिकाकर्ता को चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सरकार द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल (+2), बाढ़, पटना में कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। संबंधित स्कूल एक अल्पसंख्यक स्कूल है, जहां शिक्षकों की नियुक्ति बिहार गैर माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण लेना) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (इसके बाद "अधिनियम, 2011" के रूप में संदर्भित) के प्रावधान के अनुसार प्रबंध समिति द्वारा की जाती है। पत्र संख्या देखें 3959 दिनांक 30.12.2016 के माध्यम से स्वीकृत किया गया था, जिसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव की जांच के क्रम में संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा पत्र संख्या 1094 दिनांक 11.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था। अनुपालन में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पत्र संख्या 58/18 दिनांक 09.07.2018 द्वारा अवगत कराया कि याची को सक्षम प्राधिकारी, जो विद्यालय की प्रबंध समिति का सचिव

है, द्वारा पत्र संख्या 42 दिनांक 17.05.2018 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है तथा बर्खास्तगी आदेश पारित होने के पूर्व याची को 3000/- रूपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता था, जिसे वापस किये जाने का निर्देश दिया गया है।

<u>याचिकाकर्ता के ओर से प्रस्तुतीकरण</u>

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को स्वीकृत रिक्त पद पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने 01.05.2016 को स्कूल में योगदान दिया था। प्रबंध समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के समक्ष अनुमोदन के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिन्होंने इसे पत्र संख्या 3959 दिनांक 30.12.2016 के माध्यम से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/मध्य शिक्षा को याचिकाकर्ता को रिक्त स्वीकृत पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अग्रसारित किया था। संयुक्त निदेशक माध्यमिक/मध्य शिक्षा, बिहार, पटना ने पत्र संख्या के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा था। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से एसटीईटी परीक्षा के संबंध में 1094 प्राप्त हुआ था, जिसे याचिकाकर्ता ने वर्ष 2011 में उत्तीर्ण किया था, इससे पहले कि वह वर्ष 2012 में कला स्नातक उत्तीर्ण करता। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पटना ने पत्रांक 9873 दिनांक 26.12.2015 के माध्यम से मध्य शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा में कला विषय में यूनिट स्वीकृत किया था और उसके अनुपालन में याचिकाकर्ता को विद्यालय में कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। पक्षों का मामला यह है कि वर्ष 2016 से पद की स्वीकृति नहीं दी गई। अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के अभाव में याचिकाकर्ता को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि 01.05.2016 से याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। विद्यालय प्रबंधन ने पत्रांक 18 दिनांक 19.05.2018 के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सूचित किया था कि प्रबंधन द्वारा कतिपय आरोपों के आधार पर 17.05.2018 से याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पत्रांक 42 दिनांक

17.05.2018 में निहित याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति आदेश को प्रतिवादी संख्या 6 और 7 ने अपने जवाबी हलफनामे में अभिलेख पर लाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और विद्यालय के सेवा शर्त नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात प्रबंध समिति ने याचिकाकर्ता को गंभीर कदाचार का दोषी पाया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पर सेवा समाप्ति आदेश का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो कथित रूप से उनके स्वयं के सेवा शर्त नियमों के अनुसार है। आगे यह भी कहा गया है कि विद्यालय बिहार गैर सरकारी उच्च विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण अधिग्रहण) अधिनियम, 1982 के प्रावधानों द्वारा शासित है, जो विद्यालय को निर्धारित योग्यता रखने वाले शिक्षकों का चयन एवं नियुक्ति करने की अनुमति देता है। इस प्रकार विद्यालय के मामले राज्य सरकार द्वारा विनियमित होते हैं और याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई, जहां तक प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार प्रशासन की शक्ति का प्रयोग करते हुए कथित रूप से उसकी सेवा समाप्त करने की बात है, संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधानों के अनुसार नहीं कही जा सकती। इन आधारों पर विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विद्यालय नियमन के अनुसार अपील का उपाय अपनाना न्याय के साथ अन्याय होगा, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि समाप्ति का आदेश पारित करने से पूर्व अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया है।

<u>स्वयं के बारे में प्रस्तुतिकरण सं. 1:</u>

5. *इसके विपरीत,* प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सेंट जोशेफ्स कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल (+ 2) बाढ़, पटना एक अल्पसंख्यक विद्यालय है। बिहार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 18 (बी) (ii) के अनुसार, "अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय की

प्रबंध समिति, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर संशोधित) और बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर संशोधित) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर सकती है..."। तदनुसार, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली 2006 (समय-समय पर संशोधित) की धारा 4 (viii) तथा बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार उपर्युक्त विद्यालय में कला शिक्षक के पद पर वैध नियुक्ति के लिए शिक्षक की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक शर्त है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की सेवा के अनुमोदन के लिए अभिलेखों के अवलोकन से यह पता चला कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2012 में स्नातक किया है, हालांकि, वह वर्ष 2011 के लिए एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुआ था। प्रतिवादी संख्या 5 को पत्र संख्या 10/ए-24/2017 1094 दिनांक 10.11.2017 तथा पत्र संख्या 24/2017-1486 दिनांक 14.12.2022 के माध्यम से उपर्युक्त स्थिति पर स्पष्टीकरण एवं टिप्पणी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। पत्र संख्या संदर्भ एसजेएस 07/2018 दिनांक 23.01.2018 के माध्यम से विद्यालय के सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनेक शिकायतों के फलस्वरूप तथा उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने पर याचिकाकर्ता को छात्रों और साथी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार और भावनात्मक रूप से असंतुलित व्यवहार का दोषी पाया गया।उसी पत्र के माध्यम से सचिव द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अवरुद्ध करने का भी अनुरोध किया गया था और इस प्रकार, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतीकरण संख्या 6 और 7:</u>

6. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि स्कूल की प्रबंध समिति ने उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद रिट याचिकाकर्ता का चयन और नियुक्ति की थी, जिसने स्वीकृत पद में मौजूदा रिक्ति के खिलाफ 28.04.2016 को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बाढ़ में कला शिक्षक के रूप में आवश्यक योग्यता प्राप्त की और याचिकाकर्ता ने 02.05.2016 को ड्यूटी ज्वाइन की। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बाढ़ के प्रबंधन ने रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए एक आवेदन 15.06.2016 को जिला शिक्षा अधिकारी, पटना के माध्यम से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या में अपने आदेश दिनांक 26.11.1987 द्वारा 4588-4589 ऑफ 1983 ***ऑल बिहार क्रिश्चियन स्कूल्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1988) पीएलजेआर एससी 7*** में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 18 के खंड (बी) के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन एवं नियुक्ति के मामले में प्रबंध समिति को विद्यालय सेवा बोर्ड के अनुमोदन से शिक्षक की नियुक्ति करनी होती है और ऐसे अनुमोदन के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिया है:

> *"खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति को विद्यालय सेवा बोर्ड की सहमति से शिक्षक की नियुक्ति करनी होती है। 'सहमति' का अर्थ अनुमोदन है। इस अनुमोदन के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खण्ड में किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। खण्ड (ख) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के पास अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए तथा उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया जाना चाहिए तथा स्वीकृत पदों के लिए नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षकों का चयन एवं नियुक्ति अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रबन्ध पर छोड़ दी जाती है, संस्था के प्रबन्धकीय अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अनुमोदन प्रदान करने में विद्यालय सेवा बोर्ड के पास सीमित शक्ति होती है।*

अल्पसंख्यक विद्यालय में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति शैक्षणिक मानक प्राप्त करने तथा संस्था के बेहतर प्रशासन के लिए अनिवार्य है।"

7. उन्होंने आगे कहा कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रबंधन द्वारा रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति के अनुमोदन और याचिकाकर्ता को देय वेतन जारी करने के मामले को मनमाने ढंग से लंबित रखा। कई मामलों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने याचिकाकर्ताओं के अनुमोदन के लिए आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए किसी भी दिशा-निर्देश की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए लंबे समय तक अनुमोदन रोके रखा, जिससे कर्मचारियों को भारी कठिनाई और असुविधा हुई और कई मामलों में स्कूलों के प्रबंधन पर अतिरिक्त बोझ पड़ा, ताकि संकट में फंसे शिक्षकों को कुछ अग्रिम/ऋण प्रदान किया जा सके, ताकि वे अपना नियमित वेतन प्राप्त करने तक की अवधि के दौरान अपना भरण-पोषण कर सकें। शिक्षकों को उनकी नियुक्तियों के अनुमोदन में मनमाने ढंग से की गई देरी के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट आवेदनों के माध्यम से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को परमादेश जारी करने की प्रार्थना करनी पड़ी, ताकि उनके समक्ष लंबित अनुमोदन के आवेदनों पर उचित आदेश पारित किए जा सकें और बताया गया कि याचिकाकर्ता की तरह ही, जो शिक्षक योग्य थे, उनकी नियुक्ति के अनुमोदन में मनमाने ढंग से की गई देरी और उनके वेतन जारी न किए जाने के परिणामस्वरूप, स्कूल के प्रबंधन ने रिट याचिकाकर्ता को न्यूनतम आवश्यक सहायता प्रदान की।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि कुछ छात्रों और शिक्षकों के साथ उनके व्यवहार में गंभीर कदाचार की शिकायत स्कूल के प्रबंधन को दी गई थी और आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद, जिसमें उन्हें कदाचार का दोषी पाया गया और मामले में प्रबंधन को कार्रवाई की सिफारिश की गई, प्रबंधन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और प्रबंधन द्वारा नियुक्त एक जांच अधिकारी द्वारा एक घरेलू जांच की गई। जांच

अधिकारी ने जांच करने पर याचिकाकर्ता को कथित कदाचार का दोषी पाया। जांच की प्राप्ति और उसके विचार के बाद प्रबंधन ने कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया और उससे कारण बताने को कहा कि उसके सिद्ध कदाचार के लिए उसकी सेवा क्यों न समाप्त कर दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को इस उद्देश्य के लिए दिए गए विस्तारित समय के बाद भी जब उसने कोई कारण बताओ प्रस्तुत नहीं किया, तो प्रबंधन ने उचित विचार के बाद दिनांक 17.05.2017 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। स्कूल के प्रबंधन ने पत्र संख्या एसजेएस/43/18 दिनांक 19.05.2018 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी, पटना को सूचित किया कि याचिकाकर्ता की सेवा को सेवा शर्त में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सिद्ध कदाचार के लिए 17.05.2018 से प्रबंधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बाढ़ के प्रबंधन ने प्रतिवादी संख्या 6 और 7 ने कानून के अनुसार और भारत के संविधान की धारा 30 के तहत प्रशासन के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए और बिहार गैर सरकारी उच्च विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अधिनियम 1982 की धारा 18 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं और स्कूल की सेवा शर्तों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम किया है। याचिकाकर्ता ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बाढ़ में अपनी सेवा की मंजूरी के लिए प्रार्थना की है, न कि स्कूल के प्रबंधन द्वारा अनुशंसित स्कूल में रिक्त स्वीकृत पद पर सहायक शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति की मंजूरी के लिए। तैयार की गई रिट याचिका पूरी तरह से गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता उस तारीख से स्कूल की सेवा में नहीं है, जिस दिन उसकी सेवाएं समाप्त हुई थीं यानी 17.05.2018 को।

9. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की ओर से लिखित दलीलें दायर की हैं, मुझे इसे फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है

क्योंकि तथ्य पहले ही पिछले पैराग्राफ में दर्ज किए जा चुके हैं, केवल कानून के प्रश्न को छोड़कर। लिखित दलीलें रिकॉर्ड में रखी गई हैं।

10. याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अल्पसंख्यक स्कूल पर लागू नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***प्रमति शैक्षिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014) 8 एससीसी 1*** में कहा है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों पर लागू नहीं है। चूंकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसलिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में कानून द्वारा लगाए गए किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है और स्कूल का प्रबंधन 'राज्य' नहीं है और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना के अनुसार परमादेश या किसी अन्य रिट के रूप में रिट जारी करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जा सकता है।

11. विद्वान वकील ने आगे कहा है कि स्कूल को बिहार सरकार द्वारा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा जारी पत्र संख्या 3143-45) दिनांक 11.02.1982 द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। स्कूल को अल्पसंख्यक का दर्जा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी पत्र संख्या 5210-22 दिनांक 25.02.1983 द्वारा प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 (1) धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार देता है। ***टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रशासन के अधिकार में अपने कर्मचारियों के

लिए सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी शामिल है। आगे कहा गया है कि अपने कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति के साथ प्रशासन के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पटना डायोसीज़ ने अपने कर्मचारियों पर बाध्यकारी सेवा शर्तें निर्धारित की हैं। बिहार गैर सरकारी उच्च विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अधिनियम 1982 की धारा 18 की उप-धारा (3) अल्पसंख्यक विद्यालयों के प्रबंधन को निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से शिक्षकों का चयन और नियुक्ति करने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में निम्नलिखित प्रावधान है:- *"18(3)(ख) (ii) अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर संशोधित) तथा बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता एवं मानदण्ड के अनुसार, जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। अनुमोदन के लिए सभी लंबित मामलों का निपटान भी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जा सकता है"।*

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सैंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद भार्गव और अन्य (2023) 4 एससीसी 498*** में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया जाता है, जिसमें तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के अलावा यह माना है कि भले ही यह माना जाता है कि एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा शिक्षा प्रदान करना एक सार्वजनिक कर्तव्य है, यह केवल तभी है जब किसी कर्मचारी को हटाने का विनियमन कुछ वैधानिक प्रावधानों द्वारा किया जाता है, नियोक्ता द्वारा कानून के उल्लंघन में इसके उल्लंघन में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हस्तक्षेप कानून के उल्लंघन के आधार पर होगा न कि सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में

हस्तक्षेप के आधार पर। ***सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी*** **(सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2020 में राहत की प्रार्थना करते हुए दायर की गई रिट याचिका अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रबंधन द्वारा विद्यालय में उनकी सेवा की स्वीकृति के लिए दायर रिट (प्रबंधन द्वारा शिक्षक के रूप में उनकी सेवा की समाप्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत प्रबंधन द्वारा विद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार) कानून की नजर में पोषणीय नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका इस तरह से खारिज किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता द्वारा तैयार और दलील दी गई रिट याचिका पूरी तरह से गलत है और कानून के तहत पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष:</u>

13. पक्षों को सुना गया।

14. वर्ष 2011 में राज्य विधानमंडल ने बिहार गैर सरकारी उच्च विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिग्रहण) संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा बिहार गैर सरकारी उच्च विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 में संशोधन किया, जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ धारा 18 की उपधारा (3) में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को विद्यालय सेवा बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रयोग की जाने वाली शक्ति प्रदान की गई, जिससे अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रबंधन द्वारा स्वीकृत पद पर रिक्ति के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया जा सके। अपने शिक्षण संस्थान पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रशासन के अधिकार का प्रयोग करते हुए सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल के प्रबंधन ने 28.04.2016 को याचिकाकर्ता का चयन किया, जिसके पास आवश्यक योग्यता थी और उसे विद्यालय में कला शिक्षक के स्वीकृत पद पर विद्यमान रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने 02.05.2016 को सहायक अध्यापक के पद पर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण

किया। विद्यालय प्रबंधन ने अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक माध्यमिक शिक्षा को विद्यालय में कला अध्यापक के पद पर प्रबंधन द्वारा की गई नियुक्ति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा।

15. प्रतिवादियों ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.04.2016 से कार्य करना जारी रखा है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में रिक्त स्वीकृत पद पर उनकी नियुक्ति 17.05.2018 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि क्या 2011 के संशोधित अधिनियम की धारा 18 के अनुसार सचिव के अनुमोदन के बिना प्रबंध समिति द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं? दूसरे, क्या याचिकाकर्ता उचित वेतन का हकदार है, जिसे निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के अनुमोदन के लंबित रहने की प्रत्याशा में पर्याप्त अवधि तक पढ़ाने की अनुमति दी गई थी? तीसरे, क्या शिक्षा विभाग के समक्ष अनुमोदन के आवेदन के लंबे समय तक लंबित रहने को याचिकाकर्ता के मामले में स्वीकृत माना जा सकता है?

16. वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि स्कूल अर्थात् सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल (+2) एक अल्पसंख्यक और सहायता प्राप्त स्कूल है। बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981 के प्रावधान, समय-समय पर संशोधित, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर विनियामक नियंत्रण के लिए निर्धारित करते हैं।

17. रिट याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की ओर से इस आधार पर विरोध किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक संस्थान की रक्षा करता है। ***सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी*** **(सुप्रा)** में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक स्कूल की प्रबंध समिति की कार्रवाई के खिलाफ रिट याचिका स्वीकार्य नहीं है।

18. प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की ओर से आपत्ति ***प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया*** **(सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के आधार पर भी है, जिसमें मुद्दा यह था कि क्या "बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" (जिसे आगे 'अधिनियम, 2009' कहा जाएगा) अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम, 2009 अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित और प्रबंधित संस्थाओं पर लागू नहीं है और निम्नानुसार माना जाता है:

> *"हम तदनुसार मा नते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 के तहत किसी भी अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (5) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (सुप्रा) में भंडारी, जे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि 93 वें संशोधन द्वारा गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर आरक्षण लागू करने से संविधान की एक बुनियादी विशेषता अनुच्छेद 19(1)(जी) निरस्त हो गई है, सही नहीं है। इसके बजाय, हम मानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (5) को सम्मिलित करने वाला संविधान का (93 वां संशोधन) अधिनियम, 2005 वैध है।"*

19. प्रतिवादी सं. 6 और 7 में **टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन (सुप्रा)** के फैसले पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें मुद्दा यह था कि क्या सरकार की आरक्षण नीति सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर लागू की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अल्पसंख्यक संस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा संरक्षित हैं और जहां तक प्रवेश का सवाल है, आरक्षण नीति उनके आड़े नहीं आएगी।

20. संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत स्वायत्तता के कारण गैर-सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक स्कूल, जिन पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य नहीं हैं या नहीं, इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने ***सतीम्बाला शर्मा एवं अन्य बनाम सैंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मामले में (2011) 13 एससीसी 760*** में विचार किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिरक्षा के मुद्दे को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत बनाए गए नियामक कानून से संरक्षित किया गया है, जबकि पी.ए. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने ***इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य में (2005) 6 एससीसी 357*** में रिपोर्ट की गई, जिसका अनुसरण सर्वोच्च न्यायालय ने ***क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन बनाम भारत संघ में (2014) 2 एससीसी 305*** में रिपोर्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 30 संविधान के अन्य भाग के अनुरूप है और सरकारी एजेंसी के विनियामक उपाय अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा प्रबंधित संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करना अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 (1) के साथ अनुच्छेद 19(1)(जी) और 30 के तहत प्राप्त अधिकार प्रवेश के मामले में पारदर्शिता और योग्यता की मान्यता सुनिश्चित करने में बाधा नहीं बनते हैं, इसलिए राज्य को शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन योग्यता के पाठ्यक्रम को विनियमित करने और राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगाने की स्वतंत्रता है।

21. ***सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर रिपोर्टेड इन (2012) 6 एससीसी 102*** में बहुमत से दिए गए फैसले में आरटीई एक्ट, 2009 की वैधता को बरकरार रखा गया, जिसमें कहा गया कि आरटीई एक्ट,

2009 की धाराएं 12(1)(सी) और धारा 18(3) संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और इसलिए आरटीई एक्ट, 2009 की धाराएं 12(1)(सी) और धारा 18(3) अकेले ऐसे सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होंगी और जहां तक आरटीई एक्ट, 2009 के अन्य प्रावधानों का संबंध है, उन्हें सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए भी बरकरार रखा गया है।

22. ***टी.एम.ए.पई फाउंडेशन*** **(सुप्रा)** मामले में ग्यारह न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्य या अन्य नियंत्रण प्राधिकरण हमेशा किसी शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता पर आधारित न्यूनतम योग्यता, वेतन, अनुभव और अन्य शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

> *"प्रश्न 5 (ग) क्या वैधानिक प्रावधान जो शैक्षणिक एजेंसियों पर नियंत्रण, शासी निकायों पर नियंत्रण, मान्यता/वापसी सहित संबद्धता की शर्तों और कर्मचारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति सहित उनकी सेवा शर्तों और फीस आदि के विनियमन जैसे प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करते हैं, अल्पसंख्यकों के प्रशासन के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे? उत्तर: जहां तक प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का संबंध है, एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के मामले में, नियंत्रण का नियामक उपाय न्यूनतम होना चाहिए और मान्यता की शर्तों के साथ-साथ विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबद्धता की शर्तों का पालन करना होगा, लेकिन दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के मामले जैसे कर्मचारियों, शिक्षण और गैर-शिक्षण की नियुक्ति और उन पर प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में प्रबंधन को ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए और कोई बाहरी नियंत्रण एजेंसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, शिक्षण कर्मचारियों के चयन और*

अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक तर्कसंगत प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा ही विकसित की जानी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए जिन्हें सजा या सेवा से बर्खास्त किया जाता है, एक तंत्र विकसित करना होगा और हमारी राय में, उचित न्यायाधिकरणों का गठन किया जा सकता है और तब तक ऐसे न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश के रैंक के न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है। हालांकि, राज्य या अन्य नियंत्रण प्राधिकरण हमेशा किसी शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता, वेतन, अनुभव और अन्य शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं।

23. इस प्रकार, ग्यारह न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना था कि सरकार को अल्पसंख्यक संस्थानों सहित किसी भी स्कूल में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है ताकि वे विनियामक प्रावधान के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, कोई भी विरोधाभासी राय नहीं हो सकती है कि याचिकाकर्ता संस्थान, जो एक सहायता प्राप्त संस्थान है, उसकी कार्रवाई पर रिट क्षेत्राधिकार में सवाल नहीं उठाया जा सकता है और इस तरह, रिट याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं माना जा सकता है।

24. ***ऑल बिहार क्रिश्चियन स्कूल्स एसोसिएशन बनाम बिहार राज्य*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ***(1988) 1 एससीसी 206*** में पैराग्राफ संख्या 22 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"22. संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान को स्वतंत्रता की गारंटी अल्पसंख्यक संस्थान को कानून और व्यवस्था, अनुबंध के कानून, औद्योगिक कानूनों या अन्य सामान्य कानूनों के विपरीत कार्य करने की अनुमति नहीं देती है जो समाज के कल्याण के लिए

अधिनियमित किए गए हैं। यदि अल्पसंख्यकों के देश के कानून से उन्मुक्ति के दावे को बरकरार रखा जाता है तो यह अनुचित होगा और अल्पसंख्यक संस्थानों के हितों के विरुद्ध होगा। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज अस्पताल कर्मचारी संघ बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन [(1987) 4 एससीसी 691] में यह प्रश्न उठा था कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धाराएं 9-ए, 10, 11-ए, 12 और 33 अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) द्वारा संरक्षित हैं। इस न्यायालय ने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया। न्यायालय ने माना कि श्रम कानून अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन पर लागू होता है और उसने इस प्रकार टिप्पणी की:

"भारत में श्रम कानून के कई टुकड़ों के माध्यम से लागू किए गए ये अधिकार प्रबंधन के चरित्र की परवाह किए बिना प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होने चाहिए। यहां तक कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन को भी इन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। इन अधिकारों के कार्यान्वयन में इस मामले में विचाराधीन अधिनियम सहित कई श्रम कानूनों का पालन करना शामिल है, जिन्हें देश में लागू किया गया है। उन कानूनों का उचित पालन शैक्षणिक संस्थानों के सुचारू संचालन में सहायता करेगा और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के उचित प्रशासन की सुविधा प्रदान करेगा। यदि ऐसे कानून अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे संस्थानों के कुप्रशासन के अधीन होने की पूरी संभावना है। केवल इसलिए कि एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण को रोजगार, बेरोजगारी, काम की सुरक्षा से संबंधित विवादों को हल करने का कर्तव्य सौंपा गया है। और कामगारों की अन्य स्थितियों के मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन होता है। यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के लेनदार या ऐसे संस्थान के भवन का निर्माण करने वाले ठेकेदार को उस संस्थान के खिलाफ बकाया राशि या हर्जाना वसूलने के लिए मुकदमा दायर करने और ऐसे संस्थान की संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी जाती है ताकि ऐसे मुकदमे में पारित डिक्री के तहत देय डिक्री राशि की वसूली की जा सके, तो क्या अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन होता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, अगर किसी अल्पसंख्यक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया जाता है, जब पड़ोस में महामारी फैलती है, अगर अल्पसंख्यक स्कूल की इमारत को गिराने का आदेश दिया जाता है, जब इसका निर्माण नियम के विपरीत किया जाता है। नगर नियोजन कानून या यदि किसी स्कूल के निर्माण के समय भूमि के वास्तविक स्वामी के पक्ष में कब्जे का आदेश पारित किया जाता है, तो उस भूमि पर अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रबंधन का स्वामित्व नहीं होता है। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के प्रबंधन के विरुद्ध कोई विवाद उठाया जाता है, तो ऐसे विवाद को उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त तंत्र उपलब्ध कराकर हल करना आवश्यक होगा। अब सभी सभ्य देशों द्वारा ऐसे तंत्र उपलब्ध कराने वाले कानून पारित किए जाते हैं।"

25. सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि "बिहार राज्य में, उद्देश्यपूर्ण रूप से, कई निजी माध्यमिक विद्यालय निजी व्यक्तियों या समाजों द्वारा स्थापित और प्रबंधित किए गए थे। राज्य ने माध्यमिक शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथ में लेना आवश्यक समझा। इसने 11 अगस्त 1980 को बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन और

नियंत्रण का अधिग्रहण) प्रथम अध्यादेश के रूप में एक अध्यादेश जारी किया। बाद में 22-4-1981 को अध्यादेश को दूसरे बिहार अध्यादेश संख्या 74/1981 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और उसके बाद बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981 (जिसे आगे "अधिनियम, 1981" कहा जाएगा) बिहार राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सुधार, बेहतर संगठन और विकास के उद्देश्य से प्रभावी हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने और धारा 18 के प्रावधानों से निपटने के बाद यह माना कि "अल्पसंख्यक विद्यालय को मान्यता दी जाएगी यदि उसका प्रबंधन और नियंत्रण धारा 18 (3) के खंड (ए) और (के) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है"। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के लिए एक प्रबंध समिति और लिखित उपनियम होना आवश्यक है। प्रबंध समिति को विद्यालय सेवा बोर्ड की सहमति से शिक्षकों की नियुक्ति करनी होती है। प्रबंध समिति शिक्षकों की सेवा शर्तों के संबंध में प्राकृतिक न्याय और प्रचलित कानून के आधार पर नियम निर्धारित करेगी और उसे स्कूल सेवा बोर्ड के अनुमोदन से किसी शिक्षक को सेवा से हटाने, बर्खास्त करने, सेवा से हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति होगी। प्रबंध समिति छात्रों से केवल वही फीस लेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। जब तक राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

26. सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि "धारा 18(3) के खंड (जे) और (के) राज्य सरकार को कुशल प्रबंधन और शिक्षण के मानक में सुधार के लिए संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधानों के अनुरूप निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं और अल्पसंख्यक स्कूल को उन निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 18(3) के खंड (ए) से (के) अल्पसंख्यक विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित करते हैं, तथा ये विनियामक प्रकृति के हैं, जो शिक्षा में उत्कृष्टता तथा विद्यालयों के प्रबंधन में दक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।"

27. सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में माना है कि "आक्षेपित अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।" इस प्रकार, अधिनियम की शक्तियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वैध मानी गईं।

28. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता वेतन का भुगतान न किए जाने तथा सेवा समाप्ति आदेश से व्यथित है तथा मनमाने ढंग से की गई कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी (सुप्रा) के मामले में अपने पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 66, 67, 68 में इस बात पर विचार किया था। 69, 70 और 75 में निम्न प्रकार से कहा गया है:

> ***"66.*** *केवल इसलिए कि सार्वजनिक कर्तव्यों और/या सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ रिट याचिका कायम रखी जा सकती है, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए यदि प्रवर्तन को निजी कानून के दायरे में सुरक्षित करने की मांग की जाती है। यह कहना सुरक्षित नहीं होगा कि जिस क्षण निजी संस्था रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, तब उक्त निजी संस्था से संबंधित प्रत्येक विवाद रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। यह काफी हद तक विवाद की प्रकृति और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी संस्था के खिलाफ अधिकार के प्रवर्तन पर निर्भर करता है। वह अधिकार जो पूरी तरह से निजी कानून से उत्पन्न होता है, उसे रिट अधिकार क्षेत्र की सहायता से लागू नहीं किया जा सकता है, भले ही ऐसी संस्था सार्वजनिक कर्तव्यों और/या सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन*

कर रही हो। परमादेश का दायरा मूल रूप से सार्वजनिक कर्तव्य के प्रवर्तन तक सीमित है और इसलिए, यह पता लगाना न्यायालय का प्रबल कर्तव्य है कि कर्तव्य की प्रकृति सार्वजनिक कर्तव्य की परिधि में आती है या नहीं। किसी भी कार्रवाई में सार्वजनिक कानून तत्व होना चाहिए।

67. *यदि हम रामकृष्ण मिशन बनाम कागो कुन्या [रामकृष्ण मिशन बनाम कागो कुन्या, (2019) 16 एससीसी 303] में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ नहीं देते हैं तो हमारा वर्तमान निर्णय अधूरा रहेगा। उक्त मामले में इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपने सभी पिछले निर्णयों पर विचार किया। मिशन के खिलाफ रिट याचिका केवल इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं पाई गई कि यह एक अस्पताल चला रहा था, इस प्रकार सार्वजनिक कार्य/सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। इस न्यायालय ने सार्वजनिक कार्य के तत्व के संदर्भ में इस मुद्दे पर विचार किया, जो राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में किए गए कार्य के समान होना चाहिए। इस न्यायालय ने यह विचार किया कि प्रत्येक सार्वजनिक कार्य/सार्वजनिक कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निर्दिष्ट किसी "प्राधिकरण" या "व्यक्ति" के खिलाफ रिट याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बनाता है, जब तक कि कार्य ऐसे न हों जो राज्य के कार्यों के समान हों या प्रकृति में संप्रभु हों।*

68. *उक्त निर्णय के कुछ प्रासंगिक पैराग्राफों को तत्काल संदर्भ के लिए निम्नानुसार उद्धृत किया गया है: (रामकृष्ण मिशन मामला*

[रामकृष्ण मिशन बनाम कागो कुन्या, (2019) 16 एससीसी 303], एससीसी पृष्ठ 309-11 और 313, पैरा 17-22 और 25-26)

"17. इस न्यायालय के समक्ष मूल मुद्दा यह है कि क्या अस्पताल द्वारा किए जाने वाले कार्य सार्वजनिक कार्य हैं, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश रिट दायर की जा सकती है।

18. अस्पताल रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है और इसके नियंत्रण के अधीन है। मिशन की स्थापना श्री रामकृष्ण परमहंस के सबसे बड़े शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। मानवता की सेवा संगठन के लिए ईश्वर की सेवा के बराबर है जैसा कि "आत्मनो मोक्षार्थं जगत हिताय च" के आदर्श वाक्य में परिलक्षित होता है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा प्रतिपादित वेदांत और उसके सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना और उसका अध्ययन करना है, जिसका उन्होंने स्वयं अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उदाहरण दिया है, तथा तुलनात्मक धर्मशास्त्र को इसके व्यापकतम रूप में प्रस्तुत करना है। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, पुस्तकालय, अस्पताल स्थापित करना, उनका रखरखाव करना, उन्हें चलाना और उनकी सहायता करना, तथा समाज के वंचित/पिछड़े/आदिवासी लोगों के लाभ के लिए बिना किसी भेदभाव के विकास और सामान्य कल्याणकारी गतिविधियाँ चलाना शामिल है। ये गतिविधियाँ स्वैच्छिक, धर्मार्थ और गैर-लाभकारी प्रकृति की हैं। मिशन, जो एक गैर-लाभकारी

संस्था है, द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में की जाने वाली गतिविधियों से निकटता से संबंधित नहीं हैं, न ही वे सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति की हैं।

19. मिशन का शासी निकाय रामकृष्ण मठ के न्यासी बोर्ड के सदस्यों द्वारा गठित किया जाता है, तथा उसे संगठन का प्रबंधन करने की शक्ति और अधिकार प्राप्त होता है। मिशन और मिशन की संपत्ति और निधियाँ इसका प्रबंधन शासी निकाय में निहित है। शासी निकाय द्वारा चुने जाने पर कोई भी व्यक्ति मिशन का सदस्य बन सकता है। वार्षिक आम बैठकों का कोरम रोल पर मौजूद सदस्यों से बनता है। मिशन के मामलों के प्रबंधन के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त सदस्यों से प्रबंध समिति बनती है। मिशन के ज्ञापन और नियमों और विनियमों के तहत, मिशन के कामकाज, प्रशासन और दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। अस्पताल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं जिन्हें किसी भी सरकारी निकाय के हस्तक्षेप के बिना मिशन द्वारा तैयार किया जाता है। (जोर दिया गया)

20. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि अपीलकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत एक प्राधिकरण के विवरण के अंतर्गत आते हैं, उच्च न्यायालय ने अंडी मुक्ता [अंडी मुक्ता सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदस स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट बनाम वी.आर. रुदानी, (1989) 2 एससीसी 691: एआईआर 1989 एससी 1607]। अंडी मुक्ता [अंडी मुक्ता सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदस स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट बनाम

वी.आर. रुदानी, (1989) 2 एससीसी 691: एआईआर 1989 एससी 1607] एक ऐसा मामला था, जिसमें एक सार्वजनिक ट्रस्ट एक कॉलेज चला रहा था, जो गुजरात विश्वविद्यालय से संबद्ध था, जो राज्य विधान द्वारा शासित एक निकाय था। विश्वविद्यालय और उसके सभी संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक, जहाँ तक उनके वेतनमान का सवाल था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों द्वारा शासित थे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ द्वारा उठाए गए वेतनमान पर विवाद कुलाधिपति के एक निर्णय का विषय था, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा भी। संबंधित कॉलेज के प्रबंधन ने बिना पूर्व अनुमति के इसे बंद करने का निर्णय लिया। शिक्षकों को उनके वेतन और टर्मिनल लाभ प्राप्त करने के अधिकार को शासकीय प्रावधानों के अनुसार लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या कॉलेज का प्रबंधन रिट क्षेत्राधिकार के अधीन था। इस न्यायालय के अंतिम निर्णय में कई परिस्थितियों का वजन था, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

20.1. ट्रस्ट एक संबद्ध कॉलेज का प्रबंधन कर रहा था।

20.2. कॉलेज को सरकारी सहायता प्राप्त थी।

20.3. सरकार की सहायता ने शैक्षणिक संस्थान के नियंत्रण, प्रबंधन और कार्य में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

20.4. सहायता प्राप्त संस्थान, सरकारी संस्थानों के समान ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का सार्वजनिक कार्य करते हैं।

20.5. सभी सहायता प्राप्त संस्थान नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं। संबद्ध विश्वविद्यालय के।

20.6. उनकी गतिविधियों की विश्वविद्यालय द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है।

20.7. ऐसे संस्थानों में रोजगार इसलिए सार्वजनिक चरित्र से रहित नहीं है और विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा शासित होता है जो प्रबंधन के लिए बाध्यकारी होते हैं।

21. उपरोक्त परिस्थितियों में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा शर्तें निजी प्रकृति की नहीं हैं, बल्कि कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अधिकार-कर्तव्य संबंध द्वारा शासित हैं। यह माना गया कि कर्तव्य का उल्लंघन, परमादेश के रिट के उपचार के लिए उत्तरदायी होगा। जबकि न्यायालय ने माना कि "लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निकायों की तेजी से फैलती भूलभुलैया को वाटरटाइट डिब्बों में नहीं रखा जा सकता है", इसने दो अपवाद निर्धारित किए जहाँ परमादेश का उपाय उपलब्ध नहीं होगा: (एससीसी पृष्ठ 698, पैरा 15) '

15. यदि अधिकार पूरी तरह से निजी प्रकृति के हैं तो कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यदि कॉलेज का प्रबंधन पूरी

तरह से एक निजी निकाय है जिसका कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है तो परमादेश नहीं होगा। ये परमादेश के दो अपवाद हैं।'

22. अंडी मुक्ता [अंडी मुक्ता सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदस स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट बनाम वी.आर. रुदानी, (1989) 2 एससीसी 691: एआईआर 1989 एससी 1607] में दिए गए फैसले के बाद, इस न्यायालय को लगातार फैसलों में अंतर्निहित सिद्धांतों पर फिर से विचार करने का अवसर मिला है। इससे यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों का विकास हुआ है कि "सार्वजनिक कर्तव्य" और "सार्वजनिक कार्य" क्या है और क्या परमादेश की रिट उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगी जो अपने अधिकार को लागू करना चाहता है।

25. रमेश अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य [रमेश अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य, (2012) 12 एससीसी 331: (2013) 3 एससीसी (एलएंडएस) 456: 4 एससीईसी 715] में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था, जहां इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने माना था कि एक निजी निकाय को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, जब वह सार्वजनिक कार्य करता है, जो आमतौर पर राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है।

26. फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस [फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस, (2003) 10 एससीसी 733] में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों का विश्लेषण किया

और संस्थाओं का वर्गीकरण प्रदान किया जिनके खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य हो सकती है: (एससीसी पृष्ठ 748, पैरा 18)

'18. उपर्युक्त निर्णयों से, यह स्थिति उभर कर आती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका (i) राज्य (सरकार); (ii) एक प्राधिकरण; (iii) एक वैधानिक निकाय; (iv) राज्य का एक साधन या एजेंसी; (v) एक कंपनी जो राज्य द्वारा वित्तपोषित और स्वामित्व में है; (vi) एक निजी निकाय जो काफी हद तक राज्य के वित्त पोषण पर चलता है; (vii) एक निजी निकाय जो सार्वजनिक प्रकृति के सार्वजनिक कर्तव्य या सकारात्मक दायित्व का निर्वहन करता है; और (viii) किसी व्यक्ति या निकाय को किसी क़ानून के तहत किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए दायित्व के तहत, उसे ऐसा वैधानिक कार्य करने के लिए मजबूर करना।" (मूल में जोर)

***69.** रामकृष्ण मिशन [रामकृष्ण मिशन बनाम कागो कुन्या, (2019) 16 एससीसी 303] में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उत्तम चंद रावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [उत्तम चंद रावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन सभी 724: (2021) 6 सभी एलजे 393] में विस्तृत रूप से विचार किया गया, जिसमें पूर्ण पीठ को निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया था: (उत्तम चंद रावत मामला [उत्तम चंद रावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन सभी 724: (2021) 6 ऑल एलजे 393], एससीसी ऑनलाइन ऑल पैरा 1)*

"1. ...'(i) क्या किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा किए जाने वाले उद्यम में निहित सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक कर्तव्य का तत्व, शिक्षकों की सेवा की शर्तें, जिनके कार्य उस सार्वजनिक कार्य या कर्तव्य के निर्वहन के लिए अनिवार्य हैं, को अनुबंध के निजी कानून द्वारा शासित माना जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई उपाय उपलब्ध नहीं है?"

70. *पूर्ण पीठ ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार दिया: (उत्तम चंद रावत मामला [उत्तम चंद रावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन ऑल 724: (2021) 6 ऑल एलजे 393], एससीसी ऑनलाइन ऑल पैरा 16-20)*

"16. ऊपर की गई चर्चा का सार यह है कि प्राधिकरण या व्यक्ति के खिलाफ रिट याचिका बनाए रखने योग्य होगी जो एक निजी निकाय हो सकता है, यदि वह सार्वजनिक कार्य/सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करता है, जो अन्यथा रामकृष्ण मिशन में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में संदर्भित राज्य का प्राथमिक कार्य है [रामकृष्ण मिशन बनाम कागो कुन्या, (2019) 16 एससीसी 303] और सार्वजनिक कानून के तहत मुद्दा शामिल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने के लिए उपर्युक्त जुड़वां परीक्षण को संतुष्ट किया जाना चाहिए।

17. <u>उपरोक्त चर्चा से और ऊपर संदर्भित निर्णयों के प्रकाश में, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका (i) सरकार; (ii) एक प्राधिकरण; (iii) एक वैधानिक निकाय; (iv) राज्य का एक साधन</u>

या एजेंसी; (v) एक कंपनी जो राज्य द्वारा वित्तपोषित और स्वामित्व में है;(vi) कोई निजी निकाय जो मुख्यतः राज्य के वित्त पोषण पर चलता हो;(vii) कोई निजी निकाय जो सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक प्रकृति के सकारात्मक दायित्व का निर्वहन करता हो; और (viii) कोई व्यक्ति या निकाय जो किसी क़ानून के तहत कोई कार्य करने के लिए बाध्य हो, ताकि उसे ऐसा वैधानिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सके। (जोर दिया गया)

18. किसी व्यक्ति या निजी निकाय/प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले "सार्वजनिक कार्यों" और "निजी कार्यों" के बीच एक पतली रेखा होती है। रिट याचिका केवल निकाय या प्राधिकरण द्वारा लागू किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति का निर्धारण करने के बाद ही सुनवाई योग्य होगी, न कि उस प्राधिकरण की पहचान करने के बाद जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है।

19. यह भी है कि भले ही कोई व्यक्ति या प्राधिकरण सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई योग्य होगी, अगर अदालत को यह विश्वास हो कि चुनौती के तहत कार्रवाई सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में आती है, जैसा कि निजी कानून से अलग है। रिट की सुनवाई योग्य होने के लिए दोहरे परीक्षण इस प्रकार हैं:

1. व्यक्ति या प्राधिकरण सार्वजनिक कर्तव्य/सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन कर रहा है।

2. चुनौती के तहत उनकी कार्रवाई सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में आती है, न कि सामान्य कानून के तहत।

20. रिट याचिका किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के खिलाफ केवल इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं होगी कि इसे कानून के तहत बनाया गया है या इसे विनियामक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाना है। यह ऐसे मामले में भी सुनवाई योग्य नहीं होगी जहां सहायता प्राप्त की गई है जब तक कि यह प्रकृति में पर्याप्त न हो। राज्य का नियंत्रण किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के खिलाफ रिट याचिका को सुनवाई योग्य बनाने का एक और मुद्दा है। (जोर दिया गया)

***75.** हम अपने अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं:*

***75.1.** संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई आवेदन किसी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध अनुरक्षणीय है जो सार्वजनिक कर्तव्यों या सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन कर रहा है। किया गया सार्वजनिक कर्तव्य या तो वैधानिक हो सकता है या अन्यथा और जहां यह अन्यथा है, वहां निकाय या व्यक्ति को सार्वजनिक कानून तत्व को शामिल करते हुए जनता के प्रति उस कर्तव्य या दायित्व को दिखाना होगा। इसी प्रकार, सार्वजनिक कार्य के निर्वहन का पता लगाने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि निकाय या व्यक्ति जनता या उसके एक वर्ग के सामूहिक लाभ के लिए इसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करने का अधिकार जनता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।*

75.2. *भले ही यह मान लिया जाए कि कोई शैक्षणिक संस्थान सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा है, शिकायत किए गए कार्य का सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। यह निर्विवाद रूप से एक सार्वजनिक कानून कार्रवाई है जो पीड़ित को असाधारण रिट का आह्वान करने का अधिकार प्रदान करती है। अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट के लिए अधिकार क्षेत्र। व्यक्तिगत गलतियाँ या आपसी अनुबंधों का उल्लंघन, जिसका अभिन्न अंग कोई सार्वजनिक तत्व न हो, अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। जहाँ भी न्यायालयों ने अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के अपने प्रयोग में हस्तक्षेप किया है, या तो सेवा की शर्तें वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित थीं या नियोक्ता को अनुच्छेद 12 के तहत विस्तृत परिभाषा के भीतर "राज्य" का दर्जा प्राप्त था या यह पाया गया था कि शिकायत की गई कार्रवाई में सार्वजनिक कानून तत्व है।*

75.3. *इसके परिणामस्वरूप यह माना जाना चाहिए कि जब कोई निकाय सार्वजनिक कार्य कर रहा हो या सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा हो और इस प्रकार उसके कार्य संवैधानिक न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, तो उसके कर्मचारियों को सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त उच्च न्यायालय की शक्तियों का आह्वान करने का अधिकार नहीं होगा, जहाँ वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं होते हैं। एक शैक्षणिक संस्थान सार्वजनिक जीवन और सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाले असंख्य कार्य निष्पादित करना। जबकि ऐसे कार्य*

जो "सार्वजनिक कार्य" या "सार्वजनिक कर्तव्य" के क्षेत्र में आते हैं, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निर्विवाद रूप से चुनौती और जांच के लिए खुले हैं, केवल सेवा के एक साधारण अनुबंध की सीमाओं के भीतर किए गए कार्यों या निर्णयों को, जिनके पास कोई वैधानिक बल या समर्थन नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती के योग्य नहीं माना जा सकता है। सेवा शर्तों के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित या शासित होने की अनुपस्थिति में, मामला सेवा के एक साधारण अनुबंध के दायरे में रहेगा।

75.4. *भले ही यह माना जाता है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल द्वारा शिक्षा प्रदान करना शब्द की विस्तारित अभिव्यक्ति के भीतर एक सार्वजनिक कर्तव्य है, स्कूल द्वारा अपने प्रशासन या आंतरिक प्रबंधन के उद्देश्य से नियोजित गैर-शिक्षण कर्मचारियों का एक कर्मचारी केवल इसके द्वारा बनाई गई एक एजेंसी है। यह मायने नहीं रखता कि स्कूल द्वारा उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए "ए" या "बी" को नियुक्त किया गया है। किसी भी मामले में, स्कूल और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच रोजगार अनुबंध की शर्तों को शिक्षा प्रदान करने के दायित्व का एक अविभाज्य हिस्सा नहीं माना जा सकता है और न ही माना जाना चाहिए। यह विशेष रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में है जो किसी विशेष कर्मचारी के खिलाफ शुरू की जा सकती है। यह केवल तभी है जब किसी कर्मचारी या गैर-शिक्षण कर्मचारी को हटाने का काम कुछ वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित होता है, नियोक्ता द्वारा कानून के उल्लंघन में इसके उल्लंघन में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन ऐसा*

हस्तक्षेप कानून के उल्लंघन के आधार पर होगा न कि सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में हस्तक्षेप के आधार पर।

***75.5.** मूल रिट याचिका में दलीलों से यह स्पष्ट है कि किसी भी सार्वजनिक कानून का कोई तत्व नहीं दिखाया गया है या अन्यथा नहीं बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, चुनौती दी गई कार्रवाई में कोई सार्वजनिक तत्व नहीं है और परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि कार्रवाई अनिवार्य रूप से एक निजी चरित्र की थी।*

29. संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि पूर्ण विवेक एक निर्दयी स्वामी है और यह मनुष्य के किसी भी अन्य आविष्कार की तुलना में स्वतंत्रता के लिए अधिक विनाशकारी है। शक्ति के इस तरह के प्रयोग का विनाशकारी प्रभाव होता है और इसमें यह माना गया कि शक्ति के प्रयोग को केवल एक गलती नहीं कहा जा सकता है, बल्कि एक बड़ी गलती है जो बुरे विश्वास को दर्शाती है। इसने समझ के क्षितिज को और व्यापक करते हुए यह टिप्पणी की कि यह आवश्यक नहीं है कि द्वेष किसी मौद्रिक विचार से प्रेरित हो, क्योंकि "लोगों को पैसे से नहीं बल्कि उनकी निष्ठाओं और महत्वाकांक्षाओं से रिश्वत मिलती है।"

30. "कानून का शासन क्या है, यह कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ***एस.जी. जय सिंह बनाम भारत संघ एआईआर 1967 सुप्रीम कोर्ट 1427*** के मामले में संविधान पीठ के फैसले में स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि मनमानी शक्ति का अभाव कानून के शासन का पहला सार है। यदि निर्णय बिना किसी सिद्धांत या बिना किसी नियम के लिया जाता है, तो यह अप्रत्याशित है और कानून के शासन के खिलाफ है। सवाल यह है कि रक्षकों की रक्षा कौन करेगा। "क्विस कस्टोडिएट इप्सोस कस्टोडेस?"

31. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों पर परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि प्रबंध समिति की कार्रवाई, जिसने याचिकाकर्ता को रिक्त स्वीकृत पद पर नियुक्त किया है और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन मांगा था। अनुमोदन लंबित था और प्रतिवादियों ने बिना किसी वैध कारण के और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अधीन याचिकाकर्ता को बर्खास्त कर दिया था। यदि विद्यालय का प्रबंधन याचिकाकर्ता को वैध रूप से नियुक्त करने के पश्चात उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देता है तथा अनुमोदन की प्रत्याशा में उसे जारी रखता है, तो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अनुमोदित किए बिना बर्खास्तगी के आदेश में दिया गया कारण विद्यालय की प्रबंध समिति के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य को दर्शाता है। प्रतिवादी की कार्रवाई को केवल दुर्भावनापूर्ण कार्य ही कहा जा सकता है तथा ऐसे कार्य को विवेक का उचित प्रयोग नहीं कहा जा सकता है तथा बर्खास्तगी का आदेश स्पष्ट रूप से विधि के अधिकार के बिना कहा जा सकता है।

32. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैं मानता हूं कि दिनांक 17.05.2018 का बर्खास्तगी आदेश, जिसे प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की ओर से प्रबंध समिति की शक्ति का प्रयोग करते हुए पटना के स्कूल ऑफ आर्ट डायसिस के अनुसार दायर जवाबी हलफनामे के 'अनुलग्नक-ई' के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है, जिसके प्रति प्रतिवादी संख्या 6 और 7 विद्यालय अर्थात् सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, बाढ़ नियंत्रित है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है, तथा इसे अपास्त किया जाता है तथा रद्द कर दिया जाता है।

33. प्रबंध समिति ने पाया है कि इस नियुक्ति से पूर्व याचिकाकर्ता के पास रोजगार से पहले वर्ष 2013 में एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने सहित सभी अपेक्षित योग्यताएं हैं।

34. याचिकाकर्ता, जिसने अपना कर्तव्य निभाया है, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अनुमोदन के लंबे समय तक लंबित रहने को देखते हुए अपने वेतन का हकदार है,

याचिकाकर्ता नियमित रूप से काम करता था। निदेशक के किसी प्रतिकूल आदेश के अभाव में, प्रतिवादी राज्य का यह दावा कि चूंकि याचिकाकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है, इसलिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इस कारण कायम नहीं रखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत रिक्त पद पर उसकी नियुक्ति के अनुमोदन देने में राज्य द्वारा किए गए विलंब के कारण बर्खास्तगीके आदेश के परिणाम का सामना नहीं करना चाहिए।

35. वेतन सहित संपूर्ण मौद्रिक लाभ का भुगतान याचिकाकर्ता को इस आदेश के संप्रेषण की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब देना होगा।

36. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

37. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह)

नीरज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।